

कार्यालय-कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, पकड़ीदयाल, पूर्वी चम्पारण

पत्रांक- 528 /

प्रेषक,

नगर कार्यपालक पदाधिकारी,
नगर पंचायत, पकड़ीदयाल।

सेवा में,

उप महालेखाकार,
सा0प्र0-1 सह स्थानीय निकाय
बिहार, पटना।

पकड़ीदयाल, दिनांक- 28-11 / 2018

विषय-

नगर पंचायत, पकड़ीदयाल के अंकेक्षण प्रतिवेदन संख्या 1048/16-17 का अनुपालन प्रतिवेदन समर्थित साक्ष्य सहित उपलब्ध कराने के संबंध में।

प्रसंग-

सरकार के विशेष सचिव, न0वि0एवंआ0 विभाग के पत्रांक-1357, दिनांक-25.06.2018


महाशय,

उपर्युक्त विषयक एवं प्रसंगाधीन पत्र के संबंध में कहना है कि अंकेक्षण प्रतिवेदन संख्या 1048- / 16-17 लेखा वर्ष 24.09.2008 से 2015-16 तक के लेखाओं का कंडिका वार अनुपालन प्रतिवेदन साक्ष्य सहित अग्रेतर कार्रवाई हेतु समर्पित किया जा रहा है।

अतः अनुरोध है कि कंडिकाओं का निस्तारण कर हेतु सूचित करने की कृपा की जाय।

अनुलग्नक-यथोपरि।


विश्वासभाजन


28-11-18

नगर कार्यपालक पदाधिकारी
नगर पंचायत, पकड़ीदयाल।

ज्ञापांक- 528 / दिनांक- 28/11 / 2018

प्रतिलिपि-सरकार के विशेष सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।


28-11-18


नगर कार्यपालक पदाधिकारी
नगर पंचायत, पकड़ीदयाल।

28-11-18

कार्यालय-कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, पकड़ीदयाल, पूर्वी चम्पार

अंकेक्षण प्रतिवेदन सं०-1048/16-17 लेखा परीक्षा वर्ष 24.09.2008 से 2015-16 का अनुपालन प्रति

क्र०	कंडिका सं०	अंकेक्षण आपत्ति	नगर पंचायत का अनुपालन	साक्ष्य प्रति
1	2	3	4	5
1.	10	बजट तैयार नहीं	बजट का प्रतिवेदन तैयार कर अगले अंकेक्षण में दिखा जायेगा।	
2.	11	रोकड़ बही सही संधारण नहीं	रोकड़ बही प्रारंभ से 2015-16 तक साक्ष्य सहित संलग्न	
3.	i	आय एवं व्यय मदवार राशि का वर्गीकरण स्पष्ट नहीं	आय एवं व्यय का मदवार राशि साक्ष्य सहित संलग्न।	
	ii	सभी मदों का रोकड़ बही संधारण नहीं	सभी मदों का रोकड़बही संधारण है साक्ष्य सहित संलग्न	
	iii	मदवार अलग-अलग बैंक खाता नहीं	मदवार बैंक खाता संलग्न।	
4.	13	रोकड़बही व्यापक त्रुटिया	रोकड़बही का त्रुटियों का संधारण है अगले अंकेक्षण में दिखा जायेगा।	
5.	14	बैंक समाधान विवरणी नहीं	बैंक समाधान विवरणी किया जा रहा है जिसे अगले अंकेक्षण में दिखा दिया जायेगा।	
6.	15	वार्षिक लेखा का संधारण नहीं	वार्षिक लेखा संधारण कर अगले अंकेक्षण में दिखा दिया जायेगा।	
7.	16	अनुदान	सूचनात्मक अनुपालन की आवश्यकता नहीं	
		सैरात	वसूली से संबंधित साक्ष्य संलग्न	
भाग- II (क)				
8.	1	अंकेक्षण टिप्पणी 01 से 16 तक में दी गई आपत्ति		
भाग- II (ख)				
9.	2	अंकेक्षण टिप्पणी 01 से 10 तक में दी गई आपत्ति		
10.	3	संवेदक फॉर्म एम० एण्ड एन नहीं	सूचनात्मक अनुपालन की आवश्यकता नहीं।	
11.	i	बन्दोवस्ती पंजी एवं सैरातों की कुल संख्या नहीं	बन्दोवस्ती पंजी एवं सैरातों की कुल संख्या-2, साक्ष्य सहित संलग्न।	
	ii	बन्दोवस्ती से स्टाम्प की राशि जमा नहीं	भविष्य में सुझाव का पालन किया जा रहा है। अतः कंडिका निरस्त की जाय।	
	iii	सैरात की बन्दोवस्ती वर्ष 2012-13 से अगले वित्तीय वर्ष 2013-14 में कम पर की गई वसूली	सैरात की बन्दोवस्ती वर्ष 2012-13 से अगले वित्तीय वर्ष 2013-14 में कम वसूली जिला परिषद के द्वारा बन्दोवस्ती कर दिया गया अतः कंडिका निरस्त की जाय।	


 28-11-18
 नगर कार्यपालक पदाधिकारी
 नगर पंचायत, पकड़ीदयाल
 28-11-18

कार्यालय-कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, पकड़ीदयाल, पूर्वी चम्पारण

12.	5	सैरातो की बन्दोवस्ती नहीं	बार-बार नोटिस निकालने के बाद भी कोई भी व्यक्ति डाक में शामिल नहीं हुए। फलस्वरूप विभागीय वसूली कर नगर पंचायत में राशि जमा की गई थी।
13.	6	श्रम उपकर जमा नहीं	श्रम उपकर जमा साक्ष्य संलग्न।
14.	7 i	मकान कर की कम वसूली	करों का पूर्ण निर्धारण कर लिया गया है एवं नये कर का वसूली किया जा रहा है।
	ii	मांग एवं वसूली पंजी संधारण नहीं	मांग एवं वसूली पंजी संधारण है। साक्ष्य सहित संलग्न।
16.	8 i	मोबाईल टावरों पर बकाया टावरों की संख्या एवं मांग एवं वसूली पंजी नहीं	मोबाईल टावरों की मांग एवं वसूली पंजी साक्ष्य संलग्न।
	ii	मोबाईल टावरों पर नवीकरण शुल्क नहीं	मोबाईल टावरों पर नवीकरण शुल्क नोटिस निर्गत साक्ष्य सहित संलग्न।
	iii	मोबाईल टावर भवन/भुखण्डों पर अधिष्ठापन वसूली नहीं।	भविष्य में सुझाव का पालन किया जा रहा है। अतः कंडिका निरस्त की जाय।
भाग- II (TAN)			
17.	1	जिला योजना समिति नहीं	जिला द्वारा योजना समिति का गठन पूर्ण कर लिया गया है अतः कंडिका निरस्त किया जाय।
18.	2	ठोस अपशिष्टों के प्रबंधन नहीं	भविष्य में सुझाव का पालन किया जा रहा है। अतः कंडिका निरस्त किया जाय।
19.	3	खतरनाक व्यवसाय पर ट्रेड लाईसेंस प्रमाण नहीं	इस प्रकार का निकाय क्षेत्र में व्यवसाय नहीं है। कंडिका को निरस्त किया जाय।
20.	4	नक्शा स्वीकृति में भवन उप विधि अनुपालन नहीं	नक्शा स्वीकृति में भवन उप विधि का अनुपालन कर नक्शा स्वीकृत किया जा रहा है। अतः कंडिका निरस्त किया जाय।
21.	5	लेखा समिति का गठन नहीं	लेखा समिति का गठन कर लिया गया है। अतः कंडिका निरस्त किया जाय।
22.	6	विज्ञापन शुल्क प्रारंभ नहीं	भविष्य में विज्ञापन शुल्क प्रारंभ कर अगले अंकेक्षण में दिखाया जायेगा। अतः कंडिका निरस्त किया जाय।
23.	7	होलिडिंग टैक्स रसीद	वित्तीय वर्ष 2017-18 में मकान कर टैक्स रसीद की प्रति साक्ष्य संलग्न।
24.	8	चल एवं अचल सम्पतियों का पंजी संधारण नहीं।	भविष्य में सुझाव का पालन किया जा रहा है। अतः कंडिका निरस्त किया जाय।
25.	9	स्टॉक पंजी, दैनिक वसूली पंजी एवं	स्टॉक पंजी, दैनिक वसूली पंजी एवं रोकड़पाल का संधारण कर लिया गया है।

कार्यालय-कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, पकड़ीदयाल, पूर्वी चम्पारण

	रोकड़पाल का संधारण नही	साक्ष्य संलग्न।	
--	---------------------------	-----------------	--

Aftab

28.11.18

नगर कार्यपालक पदाधिकारी
नगर पंचायत, पकड़ीदयाल।

Aftab

28.11.18